राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1813/2013/बीकानेर

सहायक आयुक्त
विशेष वृत–बीकानेर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जय दुर्गा प्लास्टर इण्डस्ट्रीज
खारा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

निर्णय दिनांकः 24.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 65/आवैट/बीकानेर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत, बीकानेर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 के लिए पारित आदेश दिनांक 27.01.2012 के द्वारा शास्ति रू. 15,050/– आरोपित की की है, जिसको अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य संक्षेप इस इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तिमाही रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रू. 15,050/– आरोपित की है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2013 पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 09.05.2013 विधि के विरूद्ध व प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तिमाही रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है, जिसके अनुसार ही कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति का आरोपण किया है, जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के परिप्रेक्ष्य में शास्ति को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करनेका निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अपील सुनवाई की दिनांक को ना तो उपस्थित हुआ है और ना कोई स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 के द्वितीय तिमाही का रिटर्न 22 दिवस की देरी से प्रस्तुत किया गया है, जिसके कर निर्धारण अधिकारी ने प्रथम 15 दिवस के लिए रू. 100/–प्रतिदिन एवं इसके पश्चात शेष 7 दिन के विलम्ब के 500/–रू. प्रतिदिन के हिसाब से धारा 58 के अन्तर्गत कुल शास्ति रू.5000/–आरोपित की है तथा तृतीय तिमाही 51 दिवस की देरी से प्रस्तुत करने के कारण कुल तिमाही करकी 30 प्रशित अर्थात रू. 10050/–आरोपित की है इस प्रकार कुल रू. 15,050/–की आरोपित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.16(375)टैक्स/वैट/सीसीटी 06–899 दिनांक 15.09.2011 के द्वारा वर्ष 2009–10 की अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की अवधि 30.09.2011 तक बढायी गयी और इस अधिसूचना के अनुसरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र दिनांक 16.05.2011 जारी कर अवधि बढायी गयी है। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बढायी गयी अवधि के पूर्व ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तिमाही रिटर्न प्रस्तत कर दिये गये है, जिसके आधार पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किया है, जिसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य